Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 21-02-2006

Participants : Maheshwari Smt. Kiran

an>

Title : Regarding the practical difficulties being faced in the absence of an amendment to the Motor Vehicle Act.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विाय की ओर सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहती हूं। हमारे यहां मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय ने 1 जनवरी, 2006 को आदेश निकाला जिसके तहत ट्रकों में 9 टन और टर्बो में 16 टन से अधिक लोड नहीं ले जा सकते। इससे हर ट्रक में 40 प्रतिशत लोडिंग कम हो गई है। इससे आम व्यक्ति के ऊपर ही महंगाई का भार पड़ा है, क्योंकि चाहे बिल्डिंग मैटीरियल हो या खाद्य पदार्थ हों, सबके दाम बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। आज अगर हम कहें कि ट्रक में 9 टन माल ही जाएगा और टर्बो में 16 टन ही जाएगा तो वह उचित नहीं होगा क्योंकि आज सड़कों का इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और जिस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल योजना बनी है तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है, उसके तहत सड़कों की स्थिति में काफी सुधार आया है। इसके साथ-साथ ट्रकों की टैक्निकल कैपेसिटी में भी बहुत सुधार हुआ है। अतः हम 40 साल पहले के एक्ट को लेकर कहें कि उतनी ही लोडिंग होनी चाहिए तो वह ठीक नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है, उस पर इससे भारी असर पड़ रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उदयपुर राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां मार्बल की मंडी है। उदयपुर, राजसमंद और किशनगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से मार्बल एक्सपोर्ट होता है। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि इटली के मार्बल के कंपीटीशन में हमारा मार्बल जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्ति करना चाहती हूं कि एक तरफ 9 टन की भार सीमा ट्रक के लिए और 16 टन की भार सीमा टर्बो के लिए लगाई गई है जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के मार्बल ब्लाक्स कम से कम 20-25 टन के होते हैं। ऐसी स्थिति में हम उनको तोड़कर ट्रक में नहीं रख सकते हैं और पूरे ब्लाक्स जब रखते हैं तो कहा जाता है कि यह ओवरलोडिंग का मामला है। इस मोटर व्हीकल्स एक्ट में मार्बल के लिए कहीं न कहीं छूट होनी चाहिए ताकि जो मार्बल एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें रुकावट न आए और हमारे राजस्व में भी कमी न हो। सरकार को चाहिए कि मार्बल ब्लाक्स के लिए इस एक्ट में कोई छूट दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे टैक्स भी बार बार देना पड़ता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : मेरा कहना है कि चाहे आप इस पर रोड टैक्स लगा दें कि जो जितना ज्यादा माल ज्यादा लोड करेगा, उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा - ऐसा कर दें तो ठीक है, लेकिन लोडिंग 9 टन ही की जाए, वह ठीक नहीं है। इसमें एक बात विशेा रूप से यह हो रही है कि जहां माल ज्यादा लोड किया पाया जाता है, उसको अनलोड कर देते हैं। यह बहुत इंप्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि सड़कों पर ही मार्बल ब्लाक्स को अनलोड कर दिया जाता है। उनके पास कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है कि जहां अनलोड किये गये माल को सुरक्षित रखा जाए। यह बहुत इंप्रैक्टिकल बात है। इससे देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस एक्ट में शीघ्र संशोधन करके मार्बल उद्योग के साथ न्याय किया जाए। मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूं कि निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा होगी।